# BANDA POLICE

**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 05.06.2025**

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप 04 अलग-अलग मामलों में 06 अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप **04 अलग-अलग मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने** से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

**अभियोग-**

1. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग 87/2003 धारा 353/332/504/506 भादवि के अभियुक्त राजेश तिवारी पुत्र राजकरन तिवारी नि0 निवादा थाना गिरवां जनपद बांदा को **6 वर्ष 5 माह 13 दिन की बिताई गई अवधि का कारावास** से दण्डित कराया गया।
2. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 202/08 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. रामबरन पुत्र रामआसरे 2. लालमन पुत्र रामआसरे नि0 गण महोतरा थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल **6000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 97/14 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त पिंटू उर्फ विध्यासागर पुत्र राजा यादव नि0 ग्राम भदावत थाना बदौसा जनपद बांदा को कुल **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 130/21 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्ता 1. सरोजा पत्नी मुन्नू वर्मा 2. सोना पुत्री मुन्नू वर्मा नि0 गण गोखिया थाना अतर्रा जनपद बांदा को **1000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।